न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **सुभाष चंद्र**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का पोसाना,

बनाम

श्री श्रीचन्द पुत्र श्री शिम्भुराम जाति जाट निवासी ओलखा की ढाणी तन इंद्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णयः–

प्रकरण संख्याः– 111 / 2021 दिनांक 27.12.2021

27.12.2021 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का पोसाना ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम बासड़ी पटवार हल्का पोसाना के हाल भूमि खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 5.55 है0 किस्म गै0 मु0 बीहड़ में से 1.00 है0 सरकारी भूमि पर श्री श्रीचन्द पुत्र श्री शिम्भुराम जाति जाट निवासी ओलखा की ढाणी तन इंद्रपुरा ने अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम बासड़ी पटवार हल्का पोसाना के हाल भूमि खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 5.55 है0 किस्म गै0 मु0 बीहड़ में से 1.00 है0 सरकारी भूमि पर से श्री श्रीचन्द पुत्र श्री शिम्भुराम जाति जाट निवासी ओलखा की ढाणी तन इंद्रपुरा को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.24 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 62/–रुपये (अक्षरे रू बासठ मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चंद्र)
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी